भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 250

"अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकता"
(तीसरी अंतरिम रिपोर्ट)

अक्तूबर, 2014

बीसवें विधि आयोग का गठन विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश सं. ए-45012/1/2012-प्रशा.-III (एल.ए.) तारीख 8 अक्तूबर, 2012 द्वारा 1 सितंबर, 2012 से तीन व-र् की अवधि के लिए किया गया ।

विधि आयोग पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य सचिव सहित), दो पदेन सदस्य और पांच अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है ।

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति ए. पी. शहा

पूर्ण कालिक सदस्य

न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर
प्रो. (डा.) मूलचंद शर्मा
न्यायमूर्ति ऊना मेहरा
डा. एस. एस. चाहर, सदस्य सचिव

पदेन सदस्य

श्री पी. के. मल्होत्रा, सचिव (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग)
डा. संजय सिंह, सचिव (विधायी विभाग)

अंशकालिक सदस्य

श्री आर. वेंकटरमणी
प्रो. (डा.) योगेश त्यागी
डा. विजय नारायण मणि
प्रो. (डा.) गुरजीत सिंह

विधि आयोग
14वें तल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस,
के. जी. मार्ग,
नई दिल्ली - 110001 पर स्थित है ।

सदस्य सचिव

डा. एस. एस. चाहर

अनुसंधान अधिकारी

डा. (श्रीमती) पवन शर्मा	:	संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी
श्री ए. के. उपाध्याय	:	अपर विधि अधिकारी
डा. वी. के. सिंह	:	उप विधि अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ http://www.lawcommissionofindia.nic.in
इंटरनेट पर उपलब्ध है ।

© भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

न्यायमूर्ति अजित प्रकाश शहा
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
अध्यक्ष
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दूरभाा : 23736758 फैक्स : 23355741

Justice Ajit Prakash Shah
Former Chief Justice of Delhi High Court
Chairman
Law Commission of India
Government of India
Hindustan Times House
K.G. Marg, New Delhi-110 001
Telephone : 23736758, Fax : 23355741

अ.शा. सं. 6(3)211/2011-एल.सी.(एल.एस.) तारीख : 29 अक्तूबर, 2014

प्रिय श्री रवि शंकर प्रसाद जी,

जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारत के विधि आयोग ने **"विधिक अधिनियमितियां : साधारणीकरण और सरलीकरण"** शी-र्षक के अधीन अध्ययन का कार्य आरंभ किया है । इस अध्ययन के भाग के रूप में, आयोग ने 12 सितंबर, 2014 और 13 अक्तूबर, 2014 को अप्रचलित विधियों पर दो अंतरिम रिपोर्टें (रिपोर्ट सं. 248 और 249) प्रस्तुत की हैं । अब आयोग ने संपूर्ण निरसन के लिए 73 और विधियों की पहचान कर ली है और एक साथ **अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकता" – तीसरी अंतरिम रिपोर्ट** शी-र्षक से रिपोर्ट सं. 250 के रूप में समेकित की है और सरकार के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है । यहां यह उल्लेखनीय है कि आयोग ने अपनी तीन अंतरिम रिपोर्टों के माध्यम से कुल 258 पुरानी विधियों के निरसन की सिफारिश की है ।

सादर,

भवदीय
ह0/-
(अजित प्रकाश शहा)

श्री रवि शंकर प्रसाद,
माननीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 001

“अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकता”
(तीसरी अंतरिम रिपोर्ट)

वि-नय-सूची

क्र. सं.	शी-र्क	पृ-ठ
1.	प्रस्तावना	
2.	पूर्ण निरसन के लिए सिफारिश की गई विधियां	
3.	अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 का अधिनियम 22 पर टिप्पण	

अध्याय 1
प्रस्तावना

1.1 यह रिपोर्ट विधि आयोग द्वारा "विधिक अनियमितियां : साधारणीकरण और सरलीकरण" शी-र्क से किए जा रहे अध्ययन की तीसरी किश्त है । इस रिपोर्ट के लिए 158 और विधियों का अध्ययन किया गया और इस रिपोर्ट में इनमें से 73 के पूरी तरह से निरसित करने की सिफारिश की गई हैं ।

1.2 'अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकता' - अंतरिम रिपोर्ट सं. 248 शी-र्क के अधीन इस अध्ययन की पहली किश्त में, 72 विधियों की अप्रचलित होने के रूप में पहचान की गई और तत्काल निरसन की सिफारिश की गई । इस अध्ययन की दूसरी किश्त, जो रिपोर्ट सं. 249 के रूप में थी, में 88 विधियों को पूरी तरह से निरसित करने के लिए जबकि 25 की आंशिक निरसन के लिए सिफारिश की गई ।

1.3 इसके अलावा, 248वीं रिपोर्ट में निरसन के लिए प्रथमदृ-ट्या 261 विधियों की पहचान की गई (248वीं रिपोर्ट के परिशि-ट 5 में सूचीबद्ध) । इस तीसरी रिपोर्ट में, विधि आयोग ने सभी 261 विधियों का अध्ययन किया और प्रशासनिक विधियों का पुनर्विलोकन आयोग, 1998 (पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट) की रिपोर्ट और विधि आयोग की पूर्व रिपोर्टों द्वारा निरसन के लिए सिफारिश की गई विधियों का भी अध्ययन किया । 253 विधियां जिनकी पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट और कतिपय अप्रचलित विधियों के निरसन पर 96वीं रिपोर्ट (1984), कतिपय 1947 पूर्व अधिनियमों के निरसन पर 148वीं रिपोर्ट और विधि आयोग की विधियों के निरसन और संशोधन पर 159वीं रिपोर्ट (1998) द्वारा निरसन के लिए सिफारिश की गई थी, किंतु जिनका निरसन अब तक नहीं किया गया है का भी अध्ययन किया गया (इन विधियों को 248वीं रिपोर्ट के परिशि-ट 2 में सूचीबद्ध किया गया है) । इस प्रकार तीसरी अंतरिम रिपोर्ट निरसन के लिए प्रथमदृ-ट्या पहचानी गई 261 विधि और अन्य आयोग रिपोर्टों द्वारा निरसन के लिए सिफारिश की गई 253 विधियों की पराका-ठा को चिह्नित करती है ।

1.4 इस प्रकार, इस रिपोर्ट के अध्याय 2 में पूर्ण निरसन के लिए सिफारिश की गई 73 विधियों का अध्ययन है और प्रत्येक के बारे में टिप्पण और सिफारिश का उल्लेख है । यह ध्यातव्य है कि इन विधियों के निरसन की सिफारिश करते समय, विधि का निरसन करने के लिए सक्षम विधानमंडल की सुनिश्चितता संविधान के अनुच्छेद 372(1) के अनुसार किया जाना चाहिए । 248वीं रिपोर्ट के अध्याय 4 के सुस्प-ट वर्णन के अनुसार, केंद्र द्वारा पारित होने के बावजूद संविधान पूर्व विधियों का निरसन केंद्र द्वारा तभी किया जा सकता है जब विधि की वि-नय-वस्तु संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 या 3 के भीतर आती है । जहां कोई विधि सूची 2 की परिधि के भीतर आती है वहां निरसन के लिए इसे सुसंगत राज्य सरकारों को निर्दि-ट करना चाहिए । तदनुसार, निरसन के लिए अध्ययन की गई सभी विधियों के अधीन सक्षम विधानमंडल का उपदर्शन किया गया है । क्रम संख्यांक 73 और 74 के अधिनियमों का निरसन पहले ही हो चुका है । अतः, केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की अपनी सूची से इन विधियों का हटाना चाहिए ।

1.5 अध्याय 3 में अभ्रक खान कल्याण निधि अधिनियम, 1946 का अधिनियम 22 और समरुप कल्याण निधि अधिनियमों पर टिप्पण का उल्लेख है ।

1.6 आयोग इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर, सदस्य, विधि आयोग, प्रो. मूल चन्द्र शर्मा, सदस्य विधि आयोग, प्रो. योगेश त्यागी, सदस्य (अंशकालिक) विधि आयोग, श्री अर्घ्य सेन गुप्ता और सुश्री श्रीजोनी सेन, विधिक नीति के विधि केंद्र के अधिवक्ता और दो नवयुवक अनुसंधानकर्ता सुश्री रित्विका शर्मा और श्री समीर रोहतगी से मिलकर बनी उप समिति द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार करता है ।

अध्याय 2

पूर्ण निरसन के लिए सिफारिश की गई विधियां

यह अध्याय ऐसे 73 कानूनों की सूची तैयार करता है जिसके लिए प्रत्येक पर सिफारिशों और टिप्पणों के साथ पूर्ण निरसन की आवश्यकता है ।

1. मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम, 1913 का अधिनियम 6 और मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम, 1933 का अधिनियम 32

प्रवर्ग : पूर्त और धार्मिक संस्थाएं ; सहकारी सोसाइटी

सिफारिश : निरसन

मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम मुसलमानों को अपने कुटुम्ब, संतानों और वंशजों के पक्ष में 'वक्फ' द्वारा संपत्ति का बंदोबस्त करने के अधिकारों की घो-णा करता है । अधिनियम यह घोनित करता है कि किसी ऐसे वक्फ को मात्र इस कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि गरीब या अन्य धार्मिक, पवित्र या स्थायी प्रकृति के लिए उसमें आरक्षित फायदे को वक्फ बनाने वाले व्यक्ति के कुटुम्ब, संतान या वंशज की समाप्ति तक मुल्तवी रखा गया है । इस अधिनियम का अधिनियमन **अब्दुल फता मोहम्मद इशाक** बनाम **रुसोमोय धुर चौधरी [**1894 (22) कल 619 (पी. सी.)] वाले मामले में प्रिवी कौंसिल द्वारा व्यक्त स्थिति का कानूनी रूप से अधिक्रमण करने के लिए किया गया था कि वंशजों की असफलता पर पूर्त प्रयोजन हेतु दान के साथ कुटुम्ब के सदस्यों के लिए वक्फ सारतः पूर्त के लिए नहीं है और इस प्रकार अविधिमान्य है । मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम, 1930 ने यह स्प-ट किया कि मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम, 1913 इसके प्रारंभ के पूर्व किए गए वक्फों को लागू समझा जाएगा । अतः, 1913 के विधिमान्यकरण अधिनियम को 1930 अधिनियम द्वारा भूतलक्षी प्रभाव दिया गया । वक्फ अधिनियम, 1995 को अब वक्फ के बेहतर प्रशासन और उससे संबद्ध वि-नयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है । 1995 अधिनियम सभी वक्फों को लागू होता है चाहे वे अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या

पश्चात् सृजित किए गए हों । 1995 के अधिनियम द्वारा प्राइवेट वक्फ को विधिमान्य माना जाता है । अतः, 1913 और 1930 के विधिमान्यकरण अधिनियमों के प्रयोजन को 1995 के अधिनियम द्वारा समावि-ट कर लिया गया है । 1995 के पूर्व किसी समय सृजित प्राइवेट प्रकृति के वक्फ, वक्फ अधिनियम, 1995 के अधीन विधिमान्य है । केंद्रीय सरकार को 1913 और 1930 दोनों अधिनियमों को निरसित करना चाहिए । तथापि, चूंकि 1913 और 1930 के विधिमान्यकरण अधिनियमों का उपयोग अब भी 1913 से पूर्व सृजित वक्फों के विधिमान्यकरण के लिए किया जाता है इसलिए, इन अधिनियमों द्वारा विधिमान्यकृत वक्फों हेतु व्यावृत्ति उपबंध 1995 अधिनियम में अंतःस्थापित किया जाए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) और भारत के विधि आयोग के सदस्य सचिव को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अपने पत्र सं. 12/10/2014, वक्फ, तारीख 9 सितंबर, 2014 द्वारा भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

2. डाकघर नकद प्रमाण पत्र अधिनियम, 1917 का अधिनियम 18

प्रवर्ग : वित्तीय विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम 5 व-र्षीय डाकघर नकद प्रमाणपत्रों के अंतरण को निर्बंधित करता है और मृतक व्यक्तियों के नाम वाले प्रमाणपत्रों के संदाय का उपबंध करता है । डाकघर बचत बैंक मैनुअल (31 दिसंबर, 2006 तक परि-कृत) का दूसरा संस्करण यह विनिर्दि-ट करता है कि 5 व-र्षीय डाकघर नकद प्रमाणपत्रों को 14 जून, 1947 से समाप्त किया जाए । परिणामतः, यह अधिनियम अब निरर्थक है । केंद्रीय सरकार को अब इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

3. स्थानीय प्राधिकरण पेंशन और उपदान अधिनियम, 1919 का अधिनियम1

प्रवर्ग : सरकारी कर्मचारी

सिफारिश : निरसन

अधिनियम पेंशन और उपदान देने की बावत स्थानीय प्राधिकारियों की शक्तियों का विस्तार करता है । अधिनियम स्थानीय प्राधिकारियों को ऐसे अधिकारी जो 4 अगस्त, 1914 से सरकार के अधीन सेवा के दौरान घायल हो गए या अन्यथा असमर्थ हो गए और ऐसे किसी अधिकारी जो ऐसी सेवा के दौरान 4 अगस्त, 1914 से प्राप्त क्षतियों या हुई बीमारियों के परिणामस्वरूप मर गए की विधवा या संतान को पेंशन या उपदान मंजूर करने की शक्ति प्रदान करता है । अधिनियम का अब उपयोग नहीं रह गया है । अधिकांश राज्यों के पास अब अपने निजी पेंशन नियम है और इस अधिनियम का प्रयोजन ऐसे नियमों द्वारा समावि-ट कर लिया गया है । अतः यह अधिनियम निरर्थक है और केंद्रीय सरकार को इसे निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5) ने भी इस अधिनियम के निरसित किए जाने की सिफारिश की है ।

4. बंगाल दंड विधि (संशोधन) अनुपूरक अधिनियम, 1925 का अधिनियम 8

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : पश्चिमी बंगाल राज्य के परामर्श के पश्चात् निरसन

अधिनियम बंगाल दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1925 का अनुपूरक है । अधिनियम में यह उपबंध है कि बंगाल दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1925 के अधीन आयुक्तों द्वारा किए गए विचारण पर दो-ासिद्ध कोई व्यक्ति बंगाल के फोर्ट विलियम उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा और ऐसी अपील का निपटान उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में उपबंधित रीति से किया जाएगा । 1898 संहिता का निरसन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा किया गया है किंतु इस अनुपूरक अधिनियम हेतु तत्समान संशोधन नहीं किए गए हैं । परिणामतः, अधिनियम अब निरर्थक है । इस अधिनियम के हाल ही में उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है । अतः, केंद्रीय सरकार को पश्चिमी बंगाल राज्य के परामर्श के पश्चात् इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए ।

5. मद्रास, बंगाल और बम्बई बालक (अनुपूरक) अधिनियम, 1925 का

अधिनियम 35

प्रवर्ग : महिला और बाल विकास

सिफारिश : निरसन पर विचार करें

अधिनियम मद्रास बालक अधिनियम, 1920 (जिसे तमिलनाडु विधियों का अनुकूलन आदेश, 1969 द्वारा तमिलनाडु बालक अधिनियम, 1920 के रूप में पुनर्नामित किया गया), बंगाल बालक अधिनियम, 1922 और बम्बई बालक अधिनियम, 1924 के कतिपय उपबंधों का अनुपूरक है । बंगाल बालक अधिनियम को पश्चिमी बंगाल बालक अधिनियम, 1959 की धारा 51 द्वारा निरसित किया गया । बम्बई बालक अधिनियम, 1924 को बम्बई बालक अधिनियम, 1948 द्वारा निरसित किया गया । किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 63 किसी राज्य में प्रवृत्त सभी विधियों को निरसित करता है जो किशोर न्याय अधिनियम के तत्समान हैं । धारा 63 के आधार पर, तमिलनाडु बालक अधिनियम, 1920 विवक्षितः निरसित हो जाएगा । केंद्रीय सरकार को तमिलनाडु राज्य को लिखना चाहिए और तमिलनाडु बालक अधिनियम, 1920 की प्रास्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए और तत्पश्चात्, अनुपूरक अधिनियम को निरसित करने पर विचार करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) द्वारा और भारत के विधि आयोग के सदस्य सचिव को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा अपने पत्र सं. 22-22/2014-सी.डब्ल्यू-1 तारीख 30 सितंबर, 2014 द्वारा भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

6. हिंदू विरासत (निर्योग्यताओं का निवारण) अधिनियम, 1928 का अधिनियम 12

प्रवर्ग : स्वीय विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम में यह उपबंध है कि हिंदू विधि द्वारा शासित किसी व्यक्ति को केवल किसी रोग, विद्रूपता या शारीरिक या मानसिक कमी के कारण ही संयुक्त

कुटुम्ब संपत्ति में किसी अधिकार या अंश से अपवर्जित नहीं किया जाएगा । तथापि, अधिनियम ऐसे व्यक्ति को अपवर्जित करता है जो जन्म से पागल या मूर्ख था । अधिनियम का प्रयोजन अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 28 द्वारा समावि-ट किया गया है, जो यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को किसी रोग, खामी या विद्रूपता के आधार पर किसी संपत्ति के उत्तराधिकार से निरर्हित नहीं किया जाएगा । इस अधिनियम के अधीन हाल में निर्णय दिए जाने का कोई दृ-टांत नहीं है । 1928 अधिनियम अब निरर्थक है । अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित करने की आवश्यकता है ।

7. बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम, 1933 का अधिनियम 2

प्रवर्ग : श्रम विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम बालकों के श्रम को गिरवी रखने और ऐसे बालकों को रोजगार पर रखने जिसके श्रम को गिरवी पर रखा गया है, का करार करने का प्रति-ोध करता है । तथापि, इस अधिनियम का प्रयोजन धारा 2 के अधीन 'करार' की परिभा-ा के परंतुक द्वारा विफल होता है । बालक के श्रम को गिरवी रखने के कारण का प्रति-ोध करते हुए उक्त परंतुक यह उल्लेख करता है कि 'बालक के प्रति हानि के बिना और बालक की सेवा के लिए संदेय युक्तियुक्त मजदूरी से भिन्न किसी फायदे के प्रतिफल में न किया गया करार प्रतिि-द्ध नहीं है । यह परंतुक युक्तियुक्त मजदूरी के संदाय पर बालक श्रम को अनुमोदित करने का प्रभाव रखता है । इसी कारण से, दूसरे भारतीय रा-ट्रीय श्रम आयोग, 2002 की रिपोर्ट भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश करता है । अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माना भी काफी कम है और मुश्किल से ही निवारक का कार्य करता है । अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । समानतः, बालकों के श्रम को गिरवी रखने के करारों को दंडित करने के लिए बालक श्रम (प्रति-ोध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन किया जाना चाहिए । श्रम और

रोजगार मंत्रालय भी इस अधिनियम के निरसन को अनुध्यात करता है ।

8. जबलपुर और छत्तीसगढ़ खंड (विवाह विच्छेद कार्यवाही) अधिनियम, 1935 का अधिनियम 13

प्रवर्ग : स्वीय विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम कतिपय शंकाओं को दूर करता है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कतिपय कार्यवाहियों को विधिमान्य ठहराता है । अधिनियम में यह घो-णा की गई है कि 31 अगस्त, 1923 से, मध्य प्रांत के न्यायिक आयुक्त न्यायालय को ही मध्य प्रांतों के जबलपुर और छत्तीसगढ़ खंडों के भीतर भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारिता होगी । अधिनियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए कतिपय विनिश्चयों को भी विधिमान्य ठहराया और ऐसे विनिश्चयों को उचित और विधि की दृ-टि से विधिमान्य समझा मानो ऐसी कार्यवाहियां वित्त आयुक्त के न्यायालय द्वारा की गई थीं । मध्य प्रांत जैसा वे स्वतंत्रता के पूर्व विद्यमान थे, अब अस्तित्व में नहीं हैं । जबलपुर अब मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है । छत्तीसगढ़ पूर्व-मध्य प्रांत का एक प्रशासनिक खंड था । इस खंड के अधीन आने वाला राज्यक्षेत्र अब वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का भाग है । अतः, अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाना चाहिए । केंद्रीय सरकार को सुसंगत राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् इस विधि को निरसित कर देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) ने भी इस अधिनियम को निरसित करने की सिफारिश की है ।

9. डिक्री और आदेश विधिमान्यकरण अधिनियम, 1936 का अधिनियम 5

प्रवर्ग : न्याय प्रशासन

सिफारिश : निरसन

अधिनियम बंगाल, मद्रास और बम्बई उच्च न्यायालयों की कतिपय कार्यवाहियों

की विधिमान्यता के संबंध में कतिपय शंकाओं को दूर करता है । अधिनियम में यह स्प-ट है कि लेटर्स पेटेंट के खंड 12 के अधीन अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोजन इन उच्च न्यायालयों में से किसी के द्वारा या लेटर्स पेटेन्ट के खंड 10 के अधीन रंगून उच्च न्यायलय द्वारा पारित किसी डिक्री या किए गए किसी आदेश को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसी डिक्री पारित करने वाले या आदेश देने वाले उच्च न्यायालय के पास ऐसा करने की कोई अधिकारिता नहीं थी । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है और अब केंद्रीय सरकार को यह अधिनियम निरसित कर देना चाहिए । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) ने भी इस अधिनियम को निरसित करने की सिफारिश की है ।

10. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1938 का अधिनियम 20

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

अधिनियम संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती में कतिपय प्रतिकूलात्मक कार्यों को दंड देने का उपबंध करता है । यह अधिनियम ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिन्होंने रक्षा सेवाओं में शामिल होने और ऐसे किसी युद्ध, जिससे ब्रिट्रिश साम्राज्य जुड़ा हुआ था, में भाग लेने से व्यक्तियों को मना करने हेतु सार्वजनिक भा-ाण देते थे । ऐसे कार्य के लिए विहित दंड एक व-र्ा तक का कारावास या जुर्माना या दोनों था । यह अधिनियम ब्रिट्रिश साम्राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था और अब निरर्थक है । हाल में इस अधिनियम के उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है । अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए ।

11. दिल्ली भूमि उपयोग निर्बंधन अधिनियम, 1941 का अधिनियम 12

प्रवर्ग : भूमि विधि

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम कृ-निक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए दिल्ली प्रांत में भूमि के उपयोग को विनियमित करता है । अधिनियम दिल्ली के मुख्य आयुक्त को कतिपय क्षेत्रों को "नियंत्रित" के रूप में घो-नित करने को प्राधिकृत करता है । ऐसे क्षेत्रों में सन्निर्माण करने के लिए मुख्य आयुक्त के पूर्व अनुज्ञा की अपेक्षा थी । दिल्ली के मुख्य आयुक्त का कार्यालय अब अस्तित्व में नहीं है । इस अधिनियम का प्रयोजन भी समावि-ट हो गया है क्योंकि कृ-निक भूमि के उपयोग पर निर्बंधन अब दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 द्वारा अधिरोपित किया जाता है । हाल में इस अधिनियम के उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है । अतः केंद्रीय सरकार को राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् इस अधिनियम का निरसन करना चाहिए ।

12. शत्रु के साथ व्यापार (आपात उपबंधों का जारी रहना) अधिनियम, 1947 का अधिनियम 16

प्रवर्ग : भारत की रक्षा और सशस्त्र बल

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम भारत सरकार से राज्यों और राज्यों के व्यक्तियों और फर्मों से व्यापार के नियंत्रण और उनकी संपत्ति की अभिरक्षा से संबंधित भारत रक्षा नियम, 1939 के कतिपय उपबंधों के जारी रहने का उपबंध करता है । इस अधिनियम का प्रयोजन शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 द्वारा समावि-ट किया गया है जो भारत रक्षा नियम, 1962 और भारत रक्षा नियम, 1971 के अधीन भारत की शत्रु संपत्ति की अभिरक्षा में निहित शत्रु संपत्ति का निहित होना जारी रहने का उपबंध करता है । अतः, यह अधिनियम अब निरर्थक है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-4) ने भी इस अधिनियम को निरसित करने की सिफारिश की है ।

13. पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, 1948 का अधिनियम 12

प्रवर्ग : सामाजिक कल्याण

सिफारिश : निरसन पर विचार करें

अधिनियम विस्थापित व्यक्तियों को उन्हें कारबार और उद्योग में लग जाने हेतु समर्थ बनाने के लिए युक्तियुक्त निबंधनों पर वित्तीय सहायता देने के प्रयोजन के लिए पुनर्वास वित्त प्रशासन की स्थापना करता है । 'विस्थापित व्यक्ति' को इस प्रकार परिभाषित किया गया -(i) ऐसा व्यक्ति जो सिविल उपद्रव के कारण या ऐसे उपद्रव के भय से भारत के बाहर किसी क्षेत्र से विस्थापित होकर भारत में बस गया है या किसी कारबार या उद्योग में लगा है या लगने का आशय रखता है, या (ii) भारत का ऐसा व्यक्ति जो अपना कारबार, उद्योग या संपत्ति भारत के बाहर पूर्णतः या भागतः रखता था, सिविल उपद्रव के कारण या ऐसे उपद्रव के भय से ऐसा कारबार, उद्योग या संपत्ति खो चुका है और भारत में किसी कारबार या उद्योग में लगा है या लग जाने का आशय रखता है । सुलभ उपलब्ध स्रोत से यह इंगित करने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि पुनर्वास वित्त प्रशासन ने 5वीं पंचव-र्षीय योजना (1974-1979) की समाप्ति के पश्चात् कोई सहायता प्रदान की । इस अधिनियम का अब कोई उपयोग नहीं है । अतः, केंद्रीय सरकार को पुनर्वास वित्त प्रशासन की प्रास्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए और इस अधिनियम के निरसन पर विचार करना चाहिए ।

14. भारतीय वैवाहिक वाद (युद्ध विवाह) अधिनियम, 1948 का अधिनियम 40

प्रवर्ग : स्वीय विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम कतिपय वैवाहिक मामलों में न्यायालयों को अस्थायी अधिकारिता प्रदान करता है । यह ऐसे 'युद्ध अवधि' के दौरान अनु-ठापित विवाहों को लागू होता है जहां पति विवाह के समय भारत के बाहर अधिवास कर रहा था और पत्नी विवाह के ठीक पूर्व भारत में अधिवास कर रही थी । 'युद्ध अवधि' को 3 सितंबर, 1939 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 1946 को समाप्त होने वाली अवधि के रूप में अधिनियम के अधीन परिभाषित किया गया है । अधिनियम विवाह के विवाह-विच्छेद या अकृतता के लिए कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता उच्च

न्यायालय को प्रदान करता है । अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है और इसे निरसित किया जा सकता है । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट घ) में भी इस अधिनियम का उल्लेख है ।

15. बम्बई लोक सुरक्षा उपाय (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 1948 का अधिनियम 52

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

अधिनियम द्वारा बम्बई लोक सुरक्षा उपाय अधिनियम, 1947 का विस्तार दिल्ली प्रांत तक करने के लिए संशोधन किया गया । बम्बई लोक सुरक्षा उपाय अधिनियम, 1947 का पाठ विधि मंत्रालय की बेवसाइट पर उपलब्ध नहीं है और न ही किसी अन्य सुलभ उपलब्ध स्रोत से प्राप्य है, इसका यह संकेत है कि यह उपयोग में नहीं है । न ही कोई अन्य दस्तावेजीय दृ-टांत है जहां इस अधिनियम का उपयोग पिछले कुछ दशकों से किया गया हो । दिल्ली संशोधन अधिनियम का भी अब प्रयोग नहीं हो रहा है । अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए ।

16. कैदी आदान-प्रदान अधिनियम, 1948 का अधिनियम 58

प्रवर्ग : नागरिकता ; भारत में प्रवेश, भारत में आब्रजन और भारत से नि-कासन और सीमा-पार आंदोलन

सिफारिश : निरसन

अधिनियम भारत से पाकिस्तान को कतिपय कैदियों के पाकिस्तान के साथ आदान-प्रदान और पाकिस्तान से कतिपय कैदियों के भारत में स्वागत से संबंधित करार का उपबंध करता है । अधिनियम की धारा 2(ख) के अधीन 'कैदी' सिविल न्यायालय या कोर्ट मार्शल से भिन्न किसी न्यायालय या प्राधिकारी के रिट वारंट या आदेश के अधीन 1 अगस्त, 1948 को या इसके पूर्व कारावास की अभिरक्षा में

सुपुर्द किए गए व्यक्ति के रूप में परिभाषित है । इस अधिनियम का प्रयोजन अब मई, 2008 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित कांसुलर पहुंच करार द्वारा समाहित हो गया है । अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । भारत के विधि आयोग की 96वीं रिपोर्ट में भी इस अधिनियम को निरसित किए जाने की सिफारिश की गई है ।

17. अनुसूचित प्रतिभूति (हैदराबाद) अधिनियम, 1949 का अधिनियम 7

प्रवर्ग : कारपोरेट विधि

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम कतिपय प्रतिभूतियों के अंतरण के नियंत्रण और इसकी बावत द्वितीयक प्रतिभूतियों के जारी करने का उपबंध करता है । अधिनियम में यह उपबंध है कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की लिखित अनुमोदन के बिना 31 दिसंबर, 1948 को या इसके पूर्व किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित हैदराबाद से भिन्न अनुसूचित प्रतिभूति के किसी अंतरण के प्रयोजन के मान्यता प्रदान नहीं करेगा । ऐसी प्रतिभूति हैदराबाद सरकार में निहित समझी जाएगी । इस अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है और केंद्रीय सरकार को अब इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5) द्वारा भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई ।

18. पश्चिमी गोदावरी जिला (फेडरल वि-नय पर विधियों की एकरुपता) अधिनियम, 1949 का अधिनियम 20

प्रवर्ग : राज्य पुनगर्ठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

अधिनियम मद्रास प्रांत के पश्चिमी गोदावरी जिले के विभिन्न भागों में प्रवृत्त कतिपय विधियों को एकरुप बनाता है । अधिनियम में यह विहित है कि अधिनियम के अधीन यथाविहित नियत दिन को इलुरु तालुक (पश्चिमी गोदावरी जिले का एक तालुक) में प्रवृत्त सभी विधियां अनुसूचित क्षेत्र (यह ऐसे क्षेत्र को निर्दि-ट करता

है जिसका उल्लेख अधिनियम में संलग्न अनुसूची में है न कि संविधान के अधीन अनुसूचित क्षेत्र में) तक विस्तारित होंगी । इस प्रकार, इन अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त सभी विधियां प्रवृत्त नहीं रह जाएंगी । इस अधिनियम का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है । अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

19. विलयित राज्य (विधियां) अधिनियम, 1949 का अधिनियम 59

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

अधिनियम राज्यपाल के प्रांत या मुख्य आयुक्त के प्रांत के भाग के रूप में प्रशासित कतिपय क्षेत्रों को कतिपय विधियों को विस्तारित करता है । अधिनियम अपनी अनुसूची में कतिपय अधिनियमों को सूचीबद्ध करता है और राज्य विलयन (मुख्य आयुक्त के प्रांत) आदेश, 1949 द्वारा गठित नए प्रांतों को उन अधिनियमों को विस्तारित करता है । अधिनियम अब निरर्थक हो गया है क्योंकि राज्यपाल या मुख्य आयुक्त के प्रांत अब अस्तित्व में नहीं हैं । अतः केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

20. वृत्ति कर परिसीमा (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1949 का अधिनियम 61

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर विधियां

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम वृत्ति कर परिसीमा अधिनियम, 1941 को संशोधित करता है और संयुक्त प्रांत में कतिपय परिस्थितियों और संपत्ति पर कर के अधिरोपण को विधिमान्य ठहराता है । अधिनियम वृत्ति कर परिसीमा अधिनियम, 1941 से संलग्न अनुसूची को संशोधित करता है । अधिनियम में यह भी उपबंध है कि संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128(1)(ix) या संयुक्त प्रांत जिला बोर्ड

अधिनियम, 1922 की धारा 108(ख) के अधीन अधिरोपित कर मात्र इस कारण अविधिमान्य नहीं होंगे कि अधिरोपित कर 50/- रु. प्रति वर्ग की सीमा से अधिक है। दोनों संयुक्त प्रांत अधिनियमों का प्रयोग नहीं होता है और इन अधिनियमों के अधीन कर अधिरोपित नहीं किए जाते हैं । वृत्ति कर परिसीमा अधिनियम, 1941 को भी संशोधनकारी आदेश, 1950 द्वारा निरसित किया गया है । अतः, यह अधिनियम अब निरर्थक है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** द्वारा इस अधिनियम को निरसित करने की सिफारिश की गई है ।

21. समस्त स्टेट बैंक अधिनियम, 1950

प्रवर्ग : बैंकिंग और बीमा

सिफारिश : भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से निरसन

इस अधिनियम का पाठ विधि मंत्रालय की बेवसाइट या किसी अन्य सुलभ उलब्ध स्रोत से प्राप्त नहीं है जो यह संकेत करता है कि यह उपयोग में नहीं है । न ही कोई अन्य दस्तावेजी दृ-टांत है जहां पिछले कुछ दशकों से इस अधिनियम का उपयोग किया गया हो । अतः, केंद्रीय सरकार को भारतीय स्टेट बैंक की परामर्श के पश्चात् इस विधि को निरसित करना चाहिए ।

22. अफीम और राजस्व विधियां (लागू होने का विस्तार) अधिनियम, 1950 का अधिनियम 33

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम भारत के कतिपय भागों को कतिपय अफीम और राजस्व के विस्तार का उपबंध करता है । इस अधिनियम की धारा 2 के आधार पर अफीम अधिनियम, 1857, अफीम अधिनियम, 1878, राजस्व वसूली अधिनियम, 1890, सरकारी व्यापार कराधान अधिनियम, 1926, खतरनाक ओ-नधि अधिनियम, 1930, आय पर कर (अन्वे-ण आयोग) अधिनियम, 1947 और इसके अधीन बनाए गए

नियम और आदेश जो भारत के कतिपय भागों में इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले प्रवृत्त थे, शे-ा भारत (जम्मू और कश्मीर के सिवाय) तक विस्तारित हो गए थे । राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के सिवाय इस प्रकार विस्तारित ये सभी अधिनियम अब निरसित हो चुके हैं । अधिकांश राज्यों ने या तो अपने राजस्व वसूली अधिनियम बना लिए हैं या राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 को संशोधित कर लिए हैं परिणामतः, यह अधिनियम अब अनुप्रयुक्त हो गया है । परिणामतः, अफीम और राजस्व विधियां (लागू होंने का विस्तार) अधिनियम, 1950 अब निरर्थक हो गया है । हाल में इस अधिनियम के उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है । अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए ।

23. कूच-बेहार (विधियों की एकरुपता) अधिनियम, 1950 का अधिनियम 67

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

अधिनियम शे-ा पश्चिमी बंगाल में प्रवृत्त विधियों को कूच-बेहार में प्रवृत्त होने के लिए आमेलित करता है । कूच-बेहार ब्रिटिश भारत का एक राजसी राज्य था जो स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य विलयन (पश्चिमी बंगाल) आदेश, 1949 के द्वारा पश्चिमी राज्य में विलीन हो गया था । (इस अधिनियम के अधीन यथाविहित) नियत दिन को पश्चिमी बंगाल राज्य में प्रवृत्त सभी विधियां कूच-बेहार में प्रवृत्त हो गई थीं । इसी प्रकार, कूच-बेहार में प्रवृत्त सभी विधियां प्रवृत्त नहीं रह गईं । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम को निरसित करने की सिफारिश की है ।

24. खद्दर (नाम संरक्षण) अधिनियम, 1950 का अधिनियम 78

प्रवर्ग : बौद्धिक संपदा विधि

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम 'खद्दर' और 'खादी' शब्दों के उपयोग को विनियमित करता है जब बुनी हुई सामग्री के व्यापार विवरण के रूप इसका उपयोग किया जाता है । अधिनियम का यह अधिदेश है कि 'खद्दर' और 'खादी' शब्द चाहे हिंदी अंग्रेजी या किसी अन्य भा-ा में हो, का उपयोग किसी बुनी हुई सामग्री हेतु किया जाता है तो भारतीय वाणिज्यिक अधिनियम, 1889 के अर्थान्तर्गत व्यापार विवरण समझा जाएगा । यह इस बात को उपदर्शित करने के लिए किया गया था कि ऐसी सामग्री सूत, सिल्क या ऊनी धागे या किसी दो या ऐसे सभी धागों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुना हुआ कपड़ा है । भारतीय वाणिज्यिक अधिनियम, 1889 को निरसित किया गया है किंतु तत्स्थानी संशोधन इस अधिनियम में नहीं किया गया है । वस्तुतः 'खादी' को व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिह्न के रुप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था और असली खादी के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए खादी चिह्न विनियम, 2013 जारी किए गए हैं । अतः, यह अधिनियम अब निरर्थक है और इसे निरसित किया जा सकता है ।

25. भाग ख राज्य (विधियां) अधिनियम, 1951 का अधिनियम 3

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

अधिनियम भारत के भाग ख राज्यों को कतिपय विधियों के विस्तार का उपबंध करता है । भाग ख राज्यों को इस प्रकार विस्तारित अधिनियमों और अध्यादेशों का उल्लेख अधिनियम में संलग्न अनुसूची में है । भाग ख राज्य ऐसे पूर्व राजसी राज्य थे जो राजप्रमुख द्वारा शासित थे । तथापि, भाग ख राज्य जो ठीक स्वतंत्रता पश्चात् विद्यमान थे, अस्तित्व में नहीं है । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए। पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसित करने की सिफारिश की है ।

26. भाग ग राज्य प्रकीर्ण विधियां (निरसन) अधिनियम, 1951 का अधिनियम

66

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

अधिनियम ऐसी कतिपय विधियों को निरसित करता है जो कतिपय भाग-ग राज्यों में प्रवृत्त थे । ऐसी विधियां जो इस प्रकार निरसित की गई, का उल्लेख इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में है । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अतः, इस अधिनियम को निरसित किया जाए ।

27. भाग-ख विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम, 1952 का अधिनियम 1

प्रवर्ग : स्वीय विधियां

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 के अधीन 26 जनवरी, 1950 और 31 मार्च, 1951 के कतिपय भाग-ख राज्यों में अनु-ठापित कतिपय विवाहों को विधिमान्य ठहराता है । ये विवाह विधि की दृ-टि से उचित और विधिमान्य समझे जाएंगे मानो ऐसे विवाह इस प्रकार करने हेतु सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनु-ठापित किए गए हैं । अधिनियम स्प-ट नियतकालिक है और अपना प्रयोजन पूरा कर चुका है । अतः, इसे निरसित किया जाए और निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

28. दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम, 1952 का अधिनियम 38

प्रवर्ग : किराया और किराएदारी

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम दिल्ली और अजमेर के कतिपय क्षेत्रों में किराया और बेदखली के

नियंत्रण और सरकार के खाली परिसरों के पट्टे का उपबंध करता है । दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 द्वारा दिल्ली में इसके लागू होने को निरसित किया गया । अजमेर के लिए लागू किराया नियंत्रण विधि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 है । इस अधिनियम के हाल में उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है और अब यह निरर्थक है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन करने की दृ‍ष्टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनर्विलोकन करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की अपनी सूची से भी इस विधि को हटाना चाहिए ।

29. भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1953 का अधिनियम 54

प्रवर्ग : बैंकिंग और बीमा

सिफारिश : निरसन

अधिनियम का अधिनियमन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन करने और उच्च अभिधान नोटों की बावत कतिपय उपबंध जोड़ने के लिए किया गया । इस अधिनियम के अधिकांश उपबंधों को निरसनकारी और संशोधनकारी अधिनियम, 1957 द्वारा निरसित किया गया है । केवल इस अधिनियम की धारा 9 शे-न है जो यह विहित करती है कि उच्च अभिधान बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1946 इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् जारी 500/- रु., 1000/- रु. या 10,000/- रु. के अभिधान मूल्य के किसी बैंक नोट को लागू नहीं होगा किंतु 13 जनवरी, 1946 के पूर्व जारी ऐसा कोई बैंक नोट भारत में किसी स्थान पर इसमें व्यक्त रकम के संदाय या के बट्टे विधिक प्रास्थिति नहीं रखेगा । अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है । अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । विधि और न्याय मंत्रालय को भी उच्च अभिधान बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1946 की प्रास्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए और यदि यह अब भी प्रवृत्त हैं, तो केंद्रीय सरकार को इस अध्यादेश को भी निरसित करना चाहिए । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित करना

चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

30. संघ प्रयोजनों के लिए भूमि का राज्य अर्जन (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1954 का अधिनियम 23

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन संघ के प्रयोजनों के लिए कतिपय राज्य सरकारों द्वारा भूमियों के अर्जन और इसके संबंध में पारित आदेशों और हुई कार्यवाहियों को विधिमान्य ठहराता है । 1894 अधिनियम को अब निरसित किया जा चुका है । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अतः, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित करने के पश्चात् इसे निरसित किया जा सकता है ।

31. कराधान विधियां (जम्मू और कश्मीर को विस्तार) अधिनियम, 1954 का अधिनियम 41

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर विधियां

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को कतिपय कराधान विधियों के विस्तार का उपबंध करता है । अधिनियम की धारा 2 समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 ; भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ; भूमि सीमा शुल्क अधिनियम, 1924 ; सरकारी व्यापार कराधान अधिनियम, 1926 ; भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 ; केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 ; कर का संदाय (संपत्ति अंतरण) अधिनियम, 1949 और संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 को जम्मू और कश्मीर राज्य तक विस्तार करती है । केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के सिवाय ये सभी अधिनियम निरसित किए जा चुके हैं । 1944 अधिनियम के संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ खंड को संशोधित कर इस

अधिनियम को संपूर्ण भारत तक विस्तारित किया गया है । परिणामतः, कराधान विधियां (जम्मू और कश्मीर तक विस्तार) अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है और अब निरर्थक है । केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

32. विधिज्ञ परि-नद् (राज्य विधियों का विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956 का अधिनियम 4

प्रवर्ग : विधिक, चिकित्सीय और अन्य वृत्तियां

सिफारिश : निरसन - व्यावृत्ति खंड

अधिनियम भारतीय विधिज्ञ परि-नद् अधिनियम, 1926 को संशोधित करते हुए कतिपय राज्य विधियों को विधिमान्य ठहराता है । अधिनियम में यह उपबंध है कि अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दि-ट विधियां हमेशा इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएंगी मानो वे संसद् द्वारा अधिनियमित की गईं हों । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

33. औद्योगिक विवाद संशोधन और (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1956 का अधिनियम 36

प्रवर्ग : श्रम विधियां

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 का संशोधन करता है । इस अधिनियम ने औद्योगिक विवाद (अपील अधिकरण) अधिनियम, 1950 को भी निरसित किया । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अतः, इस अधिनियम को निरसित किया जाए ।

34. जम्मू और कश्मीर (विधियों का विस्तार) अधिनियम, 1956 का अधिनियम 62

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को कतिपय विधियों के विस्तार का उपबंध करता है । इस प्रकार विस्तारित अधिनियमों का उल्लेख अधिनियम से संलग्न अनुसूची में है । इन अधिनियमों के संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ खंड में जम्मू और कश्मीर तक उनके विसतार का उपबंध करने के लिए तत्स्थानी संशोधन किए गए । इस अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है अतः, केंद्रीय सरकारी को यह अधिनियम निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

35. दान-कर अधिनियम, 1958 का अधिनियम 18

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर विधियां

सिफारिश : निरसन और केंद्रीय अधिनियमों की विधि मंत्रालय की सूची से हटाएं

यह अधिनियम दान-कर के उद्ग्रहण का उपबंध करता है । अधिनियम व्यक्ति द्वारा अधिनियमन की संलग्न अनुसूची में विनिर्दि-ट दरों पर पूर्ववर्ती व-र्ा के दौरान किए गए दान, यदि कोई है, की बावत दान कर के रूप में निर्दि-ट कर प्रत्येक निर्धारण व-र्ा के लिए प्रभारित करता है । तथापि, वित्त अधिनियम, 1998 की धारा 75 के अनुसार दान-कर को समाप्त कर दिया गया है । परिणामतः, अधिनियम 1 अक्तूबर, 1998 के पश्चात् प्रभाव में नहीं रह गया है । गैर-नातेदारों से पाखंड दान के व्यापक अंतरण के रूप में दान-कर के उत्सादन के दुरुपयोग के कारण, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2)(v) के अनुसार 1 सितंबर, 2004 को या इसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2006 से पहले किसी व्यक्ति से किसी प्रतिफल के बिना व्यक्ति हिंदू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा 25,000/- रु. से अधिक अभिप्राप्त

किसी रकम पर कर लगाया जाएगा । चूंकि यह संशोधन आयकर अधिनियम, 1961 में किया गया, इसलिए, दान-कर अधिनियम, 1958 अब भी प्रवृत्त नहीं है । इस अधिनियम को आस्थगित रखा गया है और अब भी कानूनी पुस्तक में है । केंद्रीय सरकार को औपचारिक रूप से इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । यदि दान-कर के अधिरोपण की आवश्यकता पैदा होती है तो जब कभी आवश्यक हो, दान कर पर नई विधि अधिनियमित कर इसे पूरा किया जा सकता है । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

36. मणिपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) अधिनियम, 1958 का अधिनियम 35

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन मणिपुर और त्रिपुरा (जैसा वे तब थे) के संघ राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त कतिपय विधियों को निरसित करने के लिए किया गया था । अधिनियम यह उपबंध करता है :

पहला, जब असम सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1949 मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र को विस्तारित की जाएगी, मणिपुर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1947 निरसित हो जाएगी । तथापि, मणिपुर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1976 अब प्रवृत्त है और असम सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1949 को मणिपुर में इसके प्रवर्तन से निरसित कर दिया है ।

दूसरा, जब बम्बई सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1925 और बम्बई धन उधारदाता अधिनियम, 1946 त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र को विस्तारित किए जाएंगे तो त्रिपुरा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1858 निरसित हो जाएगी । तथापि, त्रिपुरा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1974 ने त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र को यथाविस्तारित दो बम्बई अधिनियमों को निरसित कर दिया है ।

परिणामतः इस अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है और अब निरर्थक है । अतः, इसे निरसित किया जाए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

37. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन और कार्यवाही) विधिमान्यकरण अधिनियम, 1958 का अधिनियम 56

प्रवर्ग : रा-ट्रपति, संसद् और राज्य विधानमंडल

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के गठन और कार्यवाहियों को विधिमान्य ठहराने के लिए किया गया था जो हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, 1954 के अधीन बनाया गया था । अधिनियम में विहित है कि कोई न्यायालय मात्र इस आधार पर कि नई विधान सभा का सम्यक् रूप से गठन नहीं किया गया, नई विधान सभा द्वारा या इसके पूर्व पारित किसी अधिनियम या पारित की गई, स्वीकृति ली गई या किए गए किसी अनुदान, संकल्प, कार्यवाही या किसी बात को प्रश्नगत नहीं करेगा । अधिनियम का अधिनियमन विनिर्दि-टतः 1 जुलाई, 1954 और 31 अक्तूबर, 1956 के बीच विधान सभा की कार्यवाहियों को विधिमान्य ठहराने के लिए किया गया था । अधिनियम स्प-टतः नियतकालिक था और अब अपना प्रयोजन पूरा कर चुका है । अतः, केंद्रीय सरकार को उपयुक्त व्यावृत्ति खंड के साथ इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

38. प्रकीण स्वीय विधियां (विस्तार) अधिनियम, 1959 का अधिनियम 48

प्रवर्ग : स्वीय विधियां

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन भारत के ऐसे भागों में जहां वे तब प्रवृत्त नहीं थे, कतिपय स्वीय विधियों के विस्तार का उपबंध करने के लिए किया गया था ।

इस प्रकार विस्तारित अधिनियमों का उल्लेख अधिनियम से संलग्न अनुसूची में है । इन अधिनियमों के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ खंड में तत्स्थानी संशोधन किए गए हैं । अतः, इस अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

39. विवाहित स्त्री संपत्ति (विस्तार) अधिनियम, 1959 का अधिनियम 61

प्रवर्ग : स्वीय विधियां

सिफारिश : विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम, 1874 में संशोधन के साथ निरसन

अधिनियम भारत के ऐसे भागों में जिसमें यह प्रवृत्त नहीं था, विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम, 1874 के विस्तार का उपबंध करता है । अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत को इस अधिनियम का विस्तार करने के लिए विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम, 1874 के विस्तार खंड को संशोधित करता है । यह अधिनियम विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम, 1874 की धारा 6 को भी संशोधित करता है । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ खंड तथा विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम, 1874 की धारा 6 में तत्स्थानी संशोधन किए गए हैं । अतः, इस अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

40. हिंदू विवाह (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1960 का अधिनियम 19

प्रवर्ग : स्वीय विधियां

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन कतिपय कार्यवाहियों को विधिमान्य ठहराने के लिए किया गया था । यह

अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए तात्पर्यित किसी न्यायालय द्वारा की गई सभी कार्यवाही और पारित डिक्री को विधिमान्य ठहराता है । अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **परिशि-ट-घ** में इस अधिनियम का उल्लेख है ।

41. ब्रिटिश कानून (भारत को लागू होना) निरसन अधिनियम, 1960 का अधिनियम 57

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और संधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम ने 259 ब्रिटिश कानूनों को उनके भारत में लागू होने को निरसित किया । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है अतः, इसे निरसित किया जा सकता है ।

42. अनिवार्य निक्षेप स्कीम अधिनियम, 1963 का अधिनियम 21

प्रवर्ग : वित्तीय विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम कतिपय निक्षेप हेतु अधिनियम की धारा 2 में यथावर्णित सभी प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इसे अनिवार्य बनाता है । अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, अधिनियम का आशय पांच विभिन्न प्रवर्ग के व्यक्तियों अर्थात् भू-राजस्व के संदाय के दायी व्यक्ति ; आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर के संदाय के दायी व्यक्ति, कर प्रभार्य शहरी क्षेत्रों में स्थित स्थावर संपत्तियों के धारक ; सरकारी और स्थानीय प्राधिकारों के कर्मचारी और ऐसे व्यौहारी जिनका वार्षिक आवर्त 15,000/- रु. या अधिक है और जो आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयकर के संदाय के दायी नहीं है, को यह अधिनियम लागू करना है । धीरे-धीरे विभिन्न उप-स्कीमों

के निरंतर लागू न रहने के कारण अधिनियम का अब उपयोग नहीं रह गया है । ऐसी उप-स्कीमें जो संबद्ध राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के माध्यम से लागू की जानी थी, पर्याप्त व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण बीच में ही छोड़ दी गई थीं । आयकर से अप्रभार्य कर्मचारियों से संबंधित स्कीम को 23 सितंबर, 1963 से वापस ले लिया गया । अन्य प्रवर्गों के लिए, अनिवार्य निक्षेप (आयकर दाता) अधिनियम, 1974 अधिनियमित किया गया (जिसे भी 1 अप्रैल, 1985 से समाप्त कर दिया गया) । भारत के विधि आयोग ने विधियों का निरसन और संशोधन पर अपनी 159वीं रिपोर्ट में आर्थिक कार्य विभाग के इस अधिनियम के निरसन के प्रस्ताव का उल्लेख किया है । इस अधिनियम के निरसन का प्रस्ताव करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत कारण यह था कि भवि-य में ऐसे अनिवार्य निक्षेप के लिए कोई अवसर या आवश्यकता पैदा नहीं होगी । अतः, संबद्ध अधिनियमितियों के अधीन पहले ही निक्षेप में रकमों के व्ययन करने हेतु उपबंध करते समय विभाग ने इस अधिनियम के निरसन का प्रस्ताव किया । परिणामतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित की जाए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** और भारत के विधि आयोग की 159वीं रिपोर्ट ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

43. गोवा, दमन और दीव (सिविल प्रक्रिया संहिता और माध्यस्थम का विस्तार) अधिनियम, 1965 का अधिनियम 30

प्रवर्ग : सिविल प्रक्रिया

सिफारिश : निरसन

अधिनियम गोवा, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के विस्तार का उपबंध करता है । अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के तत्समान गोवा, दमन और दीव में प्रवृत्त किसी विधि को भी निरसित करता है । परिणामतः, यह अधिनियम पुर्तगाल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1939 को निरसित

करता है जो गोवा, दमन और दीव में प्रवृत्त था । सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का संशोधन संपूर्ण भारत को इसके विस्तार का उपबंध करने के लिए किया गया । माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 को माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 85 द्वारा निरसित किया गया । माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 संपूर्ण भारत तक विस्तारित है । अतः, इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

44. गोवा, दमन और दीव (आमेलित कर्मचारी) अधिनियम, 1965 का अधिनियम 50

प्रवर्ग : सरकारी कर्मचारी

सिफारिशि : निरसन पर विचार करें

इस अधिनियम का अधिनियमन ऐसे व्यक्तियों के लिए नियोजन के नियम विरचित करने की सरकारी शक्ति प्रदान करने के लिए किया गया था जो गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली प्रशासन के अधीन सिविल या प्रशासनिक सेवाओं में थे। 'आमेलित कर्मचारी' को अधिनियम द्वारा ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाि-त किया गया जो 20 दिसंबर, 1961 के ठीक पहले आमेलित पद धारित किए हुए था और उस तारीख को या इसके पश्चात् केंद्रीय सरकार के किसी विभाग में गोवा, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उस या किसी अन्य पद पर सेवा की थी या सेवा कर रहा है । चूंकि 20 दिसंबर, 1961 से पर्याप्त समयावधि बीत चुका है अतः इस अधिनियम के अधीन लंबित मुकदमेबाजी की संभावना कम है । तथापि, पर्याप्त सतर्कता हेतु, केंद्रीय सरकार को अधिनियम की प्रास्थिति और इसके अधीन लंबित मामलों की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए गोवा राज्य सरकार से परामर्श करनी चाहिए और तब विधि को, यदि आवश्यक हो, व्यावृत्ति खंड के साथ निरसित करना चाहिए ।

45. भ्र-टाचार-विरोधी विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1967 का अधिनियम 16

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम ने भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1947 में कतिपय संशोधन किया । स्वयं 1947 अधिनियम को भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 द्वारा निरसित किया गया । अतः, यह विधि निरर्थक है और निरसित की जा सकती है ।

46. वाट और माप मानक (कोहिमा और मोकोचुंग जिले तक विस्तार) अधिनियम, 1967 का अधिनियम 25

प्रवर्ग : उपभोक्ता मामले

सिफारिश : निरसन

अधिनियम ने नागालैंड राज्य के कोहिमा और मोकोचुंग जिलों को वाट और माप मानक अधिनियम, 1956 का विस्तार किया । वाट और माप मानक अधिनियम, 1956 को वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 द्वारा निरसित किया गया । यह विधि निरर्थक है और कोई प्रयोजन पूरा नहीं करता । अतः, इसे निरसित किया जाए ।

47. पांडिचेरी (विधियों का विस्तार) अधिनियम, 1968 का अधिनियम 26

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन तत्कालीन नवनिर्मित पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र को कतिपय विधियों के विस्तार का उपबंध करने के लिए किया गया । इस प्रकार विस्तारित अधिनियमों का उल्लेख अधिनियम से संलग्न अनुसूची में है । इन अधिनियमों के संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ खंड में पांडिचेरी तक उनके विस्तार का उपबंध करने के लिए तत्स्थानी संशोधन किए गए । इस अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है अतः, केंद्रीय सरकार को यह अधिनियम निरसित

करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

48. केंद्रीय विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1969 का अधिनियम 28

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम का अधिनियमन केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिए किया गया था । अधिनियम 9 जून, 1969 से पूर्व किए गए सभी कर निर्धारण, पुनर्निधारण, उद्ग्रहण या संग्रहण को भी विधिमान्य ठहराता है । अधिनियम 10 नवंबर, 1964 और 9 जून, 1969 के बीच की अवधि के दौरान हुए अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल के किसी विक्रय पर कर से भी छूट प्रदान करता है । इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों को केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में प्रभावी बनाया गया है । अतः, इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

49. केंद्रीय श्रम विधियां (जम्मू और कश्मीर तक विस्तार) अधिनियम, 1970 का अधिनियम 51

प्रवर्ग : श्रम विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम कतिपय केंद्रीय श्रम विधियों को जम्मू और कश्मीर राज्य तक विस्तार का उपबंध करता है । इस प्रकार विस्तारित अधिनियमों का उल्लेख अधिनियम से संलग्न अनुसूची में है । अनुसूची में वर्णित अधिनियमों को जम्मू और कश्मीर राज्य तक उनके विस्तार का उपबंध करने के लिए संशोधित किया गया । अतः, इस अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है और केंद्रीय सरकार को

इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

50. बंगाल वित्त (विक्रय कर) नियुक्ति और कार्यवाही का दिल्ली विधिमान्यकरण अधिनियम, 1971 का अधिनियम 20

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर विधियां

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियम दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 के अधीन कतिपय अधिकारियों की नियुक्तियों को विधिमान्य करने और उस अधिनियम तथा केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन ऐसे अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों को विधिमान्य ठहराने के लिए किया गया था । दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 73 ने बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 को दिल्ली में इसके लागू होने को निरसित किया । अतः, यह अधिनियम अब निरर्थक है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

51. उत्तर प्रदेश छावनी (किराया और बेदखली नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 1971 का अधिनियम 68

प्रवर्ग : किराया और किराएदारी

सिफारिश : निरसन

अधिनियम का अधिनियमन उत्तर प्रदेश छावनी (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1952 का निरसन करने के लिए किया गया था । इस अधिनियम का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए ।

52. कोककारी कोयला खान (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 का अधिनियम 64

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : इस तथ्यात्मक सत्यापन के अधीन निरसन कि इस अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है

अधिनियम ऐसे खान और संयंत्र के रा-ट्रीयकरण के लंबित रहने तक लोकहित में कोककारी कोयला खान और कोक ओवन संयंत्र का प्रबंध ग्रहण करने का उपबंध करता है । यह रा-ट्रीयकरण लंबित रहने तक प्राइवेट कोककारी कंपनियों को अधिग्रहण हेतु समर्थ बनाता है । कोककारी कोयला खान (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम व-र्ा 1972 में अधिनियमित किया गया था । परिणामतः, कोककारी कोयला खान (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 अब निरर्थक है । केंद्रीय सरकार को इस तथ्यात्मक सत्यापन के अधीन रहते हुए कि इस अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है, इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

53. कराधान विधियां (जम्मू और कश्मीर तक विस्तार) अधिनियम, 1972 का अधिनियम 25

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम कतिपय केंद्रीय श्रम विधियों को जम्मू और कश्मीर राज्य तक विस्तार का उपबंध करता है । इस प्रकार विस्तारित अधिनियमों का उल्लेख अधिनियम से संलग्न अनुसूची में है । अनुसूची में वर्णित अधिनियमों को जम्मू और कश्मीर राज्य तक उनके विस्तार का उपबंध करने के लिए संशोधित किया गया । स्वयं अनुसूची को भी निरसनकारी और संशोधनकारी अधिनियम, 1978 द्वारा निरसित किया गया । अतः, इस अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है

और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

54. राज्य सेवा अधिकारियों का पूर्व सचिव (सेवाशर्तें) अधिनियम, 1972 का अधिनियम 59

प्रवर्ग : सरकारी कर्मचारी

सिफारिश : निरसन

अधिनियम कतिपय वि-नयों की बावत सेवा अधिकारियों के पूर्व सचिव की सेवाशर्तों के परिवर्तन या प्रतिसंहरण का उपबंध करता है । 'राज्य सेवा अधिकारी के पूर्व सचिव' को अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 312क(1) के उपखंड (क) या (ख) में निर्दि-ट व्यक्ति के रूप में परिभाि-त किया गया है । यह अधिनियम संविधान के प्रारंभ के पूर्व राज्य सचिव या सपरि-द् राज्य सचिव द्वारा क्राउन के सिविल सेवा में नियुक्त व्यक्ति को लागू होता है । इस वर्ग के अधिकारी अब सेवा में नहीं हैं चूंकि वे व-र्ा 1947 के पूर्व नियुक्त किए गए थे और तब से अब तक 67 व-र्ा बीत चुके हैं । इस सेवा के ऐसे अधिकारियों की बावत भी जो 1972 (अनुच्छेद 312क(1)(ख) में यथानिर्दि-ट) को या इसके पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, 1972 से अब तक 42 व-र्ा बीत चुके हैं । अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पर्याप्त सतर्कता के साथ निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए जिससे कि ऐसे किन्हीं अधिकारों को संरक्षित किया जा सके जो इस अधिनियम के अधीन इनमें से किसी अधिकारी को प्रोद्भूत हो सकते हों ।

55. रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबंध का अधिग्रहण) अधिनियम, 1972 का अधिनियम 22

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन

अधिनियम रुग्ण कपड़ा उपक्रमों के प्रबंध के रा-ट्रीयकरण के लंबित रहने तक ऐसे उपक्रमों को लोकहित में अधिग्रहण का उपबंध करता है । यह ऐसे उपक्रमों के शीघ्र पुनर्वास के लिए किया गया था जिससे कि कपड़े के सस्ते किस्मों का उत्पादन और उचित कीमत पर वितरण को बढ़ाकर आम जनता के हितों की पूर्ति की जा सके । रुग्ण कपड़ा उपक्रमों का रा-ट्रीयकरण रुग्ण कपड़ा उपक्रम (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के माध्यम से किया गया । अतः, प्रबंध अधिग्रहण अधिनियम ने अब अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

56. कोयला खान (प्रबंध का अधिग्रहण) अधिनियम, 1973 का अधिनियम 15

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : इस तथात्मक सत्यापन के अधीन रहते हुए निरसन कि इस अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है

अधिनियम कोयला खानों का रा-ट्रीयकरण लंबित रहने तक लोकहित में प्रबंध के अधिग्रहण का उपबंध करता है । कोयला खान (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम को मई, 1973 में वर्तमान अधिनियम को निरर्थक बनाते हुए पारित किया गया था । अतः, केंद्रीय सरकार को इस तथ्यात्मक सत्यापन के अधीन रहते हुए कि इस अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है, इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

57. अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 का अधिनियम 37

प्रवर्ग : वित्तीय विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम रा-ट्रीय आर्थिक विकास के हित में अतिरिक्त परिलब्धियों के अनिवार्य निक्षेप और इसके संबंध में स्कीम विरचित करने का उपबंध करता है । अधिनियम सभी व्यक्तियों द्वारा दो पृथक् खाता- अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाता में अनिवार्य निक्षेप का उपबंध करता है । भारत के विधि आयोग ने विधियों के निरसन और संशोधन पर अपनी 159वीं रिपोर्ट में आर्थिक कार्य विभाग के इस अधिनियम के निरसन के प्रस्ताव का उल्लेख किया है । इस अधिनियम को निरसित करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिया गया कारण यह था कि भवि-य में ऐसे अनिवार्य निक्षेप का कोई अवसर या आवश्यकता नहीं होगी । अतः, संबद्ध अधिनियमितियों के अधीन पहले से ही निक्षेप में रकमों के व्ययन का उपबंध करते हुए विभाग ने इस अधिनियम के निरसन का प्रस्ताव किया है । परिणामतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** और भारत के विधि आयोग की 159वीं रिपोर्ट ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

58. तम्बाकू उपकर अधिनियम, 1975 का अधिनियम 26

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम तम्बाकू उद्योग के विकास के लिए अप्रयुक्त तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क और तम्बाकू पर सीमा शुल्क के उपकर के द्वारा उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करता है । अधिनियम अप्रयुक्त तंबाकू जो भारत में उत्पादित की जाती है, पर प्रति किलोग्राम एक पैसे की दर पर उत्पाद शुल्क का अधिरोपण करता है । तथापि, तम्बाकू उद्योग के विकास के लिए राजस्व पैदा करने के लक्ष्य, ऐसे उपकर के आगम के माध्यम से जो उपकर के प्रशासन में खर्च रकम की तुलना में नगण्य है, को पूरा नहीं किया गया है । व-र्ा 2003-04 में अधिनियम के अधीन संगृहीत उपकर केवल 13,94,000/- रु. था । अतः, केंद्रीय सरकार को इस

अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

59. लक्ष्मी रतन और अर्थेटन वेस्ट सूत मिल (प्रबंध अधिग्रहण) अधिनियम, 1976 का अधिनियम 98

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन

अधिनियम समुदाय के कमजोर वर्गों और रक्षा विभाग द्वारा कतिपय किस्मों के कपड़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने की दृ-टि से रा-ट्रीयकरण के लंबित रहने तक कतिपय कंपनियों के उपक्रम के प्रबंध का अधिग्रहण लोक हित में करने का उपबंध करता है । लक्ष्मी रतन और अर्थेटन वेस्ट सूत मिल उपक्रम का रा-ट्रीयकरण कपड़ा उपक्रम (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 द्वारा किया गया । अतः, इस अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

60. अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1976 का अधिनियम 106

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

अधिनियम अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का भी संशोधन करता है । दोनों अधिनियमितियों में तत्स्थानी संशोधन किए गए । अतः, इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । अधिनियम अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के पूर्व प्रवर्तन के प्रभाव की भी रक्षा करता है । तथापि, अस्पृश्यकता (अपराध) अधिनियम, 1955 और इस संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की अधिनियमिति के पश्चात् काफी वर्-ा बीत चुके हैं इसलिए

यह मानना निरापद है कि मूलतः नामित अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अधीन कोई अधिकार, विशे-ाधिकार, बाध्यता या दायित्व अब लागू नहीं है । अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए ।

61. निक्षेप बीमा निगम (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1978 का अधिनियम 21

प्रवर्ग : वित्तीय विधियां

सिफारिश : निरसन पर विचार करें

अधिनियम वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्यय प्रत्याभूति उपलब्ध कराने की आवश्यकता को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए भारतीय प्रत्यय प्रत्याभूति निगम लिमिटेड उपक्रम के अर्जन और अंतरण का उपबंध करता है । अधिनियम ने निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का भी संशोधन किया । इन दोनों अधिनियमों में तत्स्थानी संशोधन किए गए हैं । तथापि, चूंकि यह अधिनियम निक्षेप बीमा निगम और भारतीय प्रत्यय प्रत्याभूति निगम लिमिटेड के विलय की विशि-टियों का भी उपबंध करता है । इसलिए केंद्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् ही इस अधिनियम के निरसन पर विचार करना चाहिए ।

62. होटल आमदनी कर अधिनियम, 1980 का अधिनियम 54

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर विधियां

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम कतिपय होटलों पर होटल आमदनी कर के उद्ग्रहण का उपबंध करता है । तथापि, इस कर का उद्ग्रहण वित्त अधिनियम, 1982 की धारा 7 के आधार पर व-र्ा 1982 में समाप्त कर दिया गया । इस प्रकार, यह अधिनियम अब निरर्थक है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए। निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की

सिफारिश की है ।

63. केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधियां (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1982 का अधिनियम 58

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर विधियां

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम कतिपय केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधियों के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने और ऐसी विधियों के अधीन संग्रहीत करों के विधिमान्यकरण का उपबंध करता है । इस अधिनियम ने अब अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है । भारत के विधि आयोग ने विधियों के निरसन और संशोधन पर अपनी 159वीं रिपोर्ट (1998) में भी यह सत्यापित करने के पश्चात् इस विधि के निरसन की सिफारिश की कि इस अधिनियम के अधीन कोई मामला लंबित नहीं है । अतः, केंद्रीय सरकार को तथ्यात्मक सत्यापन के अधीन रहते हुए इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

64. पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1983 का अधिनियम 32

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन पर विचार करें

यह अधिनियम पंजाब के विक्षुब्ध क्षेत्रों में अव्यवस्था को दबाने और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रत्यावर्तन और अनुरक्षण का उपबंध करता है । अधिनियम राज्य सरकार को संपूर्ण पंजाब या किसी जिले के किसी भाग को विक्षुब्ध क्षेत्र घोनित करने की शक्ति प्रदान करता है । इस अधिनियम का अधिनियमन 1980 के दौरान पंजाब में युद्ध उपद्रव बढ़ने के सीधे जवाब के रूप में किया गया और यह पुलिस अधिकारियों को शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए बल का प्रयोग करने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है । तारीख 16 नवंबर, 1996 की अधिसूचना के आधार पर संपूर्ण पंजाब राज्य को छह मास की अवधि अर्थात् 18 नवंबर, 1996 से

17 मई, 1997 के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र घोनित किया गया । तारीख 9 मार्च 1989 की अधिसूचना द्वारा अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर को विक्षुब्ध क्षेत्र घोनित किया गया था । तथापि, इस अधिसूचना को भी जुलाई, 2008 को वापस ले लिया गया । प्रथमदृ-ट्या पंजाब राज्य में कोई क्षेत्र विक्षुब्ध क्षेत्र के रूप में घोनित नहीं है। इस अधिनियम की आवश्यकता नहीं रह गई है । केंद्रीय सरकार को अधिनियम की प्रास्थिति सुनिश्चित करने और यह जानने के लिए कि क्या कोई क्षेत्र राज्य में अब भी विक्षुब्ध क्षेत्र घोनित है, पंजाब सरकार को लिखना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

65. कपड़ा उपक्रम (प्रबंध अधिग्रहण) अधिनियम, 1983 का अधिनियम 40

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन

अधिनियम कतिपय कपड़ा उपक्रम (जो इस अधिनियम की अनुसूची में वर्णित हैं) का अधिग्रहण लोकहित में रा-ट्रीयकरण के लंबित रहने तक करने का उपबंध करता है । ये उपक्रम कपड़ा उपक्रम (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 के द्वारा रा-ट्रीयकृत किए गए थे । अतः, यह अधिनियम अब निरर्थक है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

66. सामान्य बीमा कारबार (रा-ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1985 अधिनियम 3

प्रवर्ग : बैंकिंग और बीमा

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन सामान्य बीमा कारबार (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 को संशोधित करने के लिए किया गया था । इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन सामान्य बीमा कारबार (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में

किए गए हैं । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

67. प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1986 का अधिनियम 19

प्रवर्ग : अधिकरण

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 को संशोधित किया । इस अधिनियम की धारा 2 से 23 तक को पहले ही निरसनकारी और संशोधनकारी अधिनियम, 2001 द्वारा निरसित किया जा चुका है । धारा 24 यह विनिर्देश करती है कि इस अधिनियम के आरंभ के ठीक पूर्व केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या तो न्यायिक सदस्य (यदि वह प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अधीन न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कोई विनिर्दि-ट अर्हता रखता है) या प्रशासनिक सदस्य समझा जाएगा । इस अधिनियम की धारा 25 इस संशोधनकारी अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व कैट द्वारा की गई किसी कार्रवाई (स्वीकृत किया गया कोई आवेदन या पारित आदेश सहित) को विधिमान्य ठहराती है । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । धारा 24 के अधीन विनिर्दि-ट सदस्यों के अधिकारों और विशे-ाधिकारों और धारा 25 द्वारा यथा अनुध्यात कैट द्वारा की गई कार्रवाई की रक्षा के लिए भी निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाना चाहिए ।

68. नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1992 का अधिनियम 12

प्रवर्ग : सार्वजनिक स्वास्थ्य

सिफारिश : निरसन

अधिनियम ने नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 को संशोधित किया । भारत के विधि आयोग द्वारा अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकता पर अपनी 248वीं रिपोर्ट में 1914 अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है । एक बार 1914 अधिनियम के निरसित हो जाने पर यह अधिनियम अब सुसंगत नहीं होगा । अतः, केंद्रीय सरकार को 1992 के इस संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम को 1914 अधिनियम के साथ निरसित कर देना चाहिए।

69. केंद्रीय विधियां (अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार) अधिनियम, 1993 का अधिनियम 44

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन अरुणाचल प्रदेश राज्य को कतिपय केंद्रीय विधियों के विस्तार का उपबंध करने के लिए किया गया । इस प्रकार विस्तारित अधिनियमों का उल्लेख अधिनियम से संलग्न अनुसूची में है । इन अधिनियमों के संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ खंड में अरुणाचल प्रदेश राज्य तक उनके विस्तार का उपबंध करने के लिए तत्स्थानी संशोधन किए गए । अतः, इस अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है अतः, केंद्रीय सरकार को यह अधिनियम निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

70. बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1993 का अधिनियम 49

प्रवर्ग : परिवहन और अवसंरचना

सिफारिश : निरसन

अधिनियम का अधिनियमन बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 का संशोधन करने के लिए किया गया था । इस संशोधन का प्रयोजन राजघाट जलाशय (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों का अंतर-राज्य बांध परियोजना) का नाम परिवर्तित कर रानी लक्ष्मी सागर करना और बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 में ऐसे नाम

परिवर्तन को प्रभावी करना था । बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 में तत्स्थानी संशोधन किए गए हैं । इस अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए ।

71. पंजाब ग्राम पंचायत समिति और जिला परि-द् (चंडीगढ़) निरसन अधिनियम, 1994 का अधिनियम 17

प्रवर्ग : संघ राज्यक्षेत्र और दिल्ली के प्रशासन से संबंधित विधियां

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 और पंजाब पंचायत समिति और जिला परि-द् अधिनियम, 1961 को निरसित करने के लिए किया गया था । इन दोनों अधिनियमों का निरसन पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 द्वारा किया गया जो संपूर्ण पंजाब राज्य तक विस्तारित है । अतः, 1994 का चंडीगढ़ निरसन अधिनियम अब निरर्थक है । केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट **(परिशि-ट ए-1)** ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

72. भारतीय राइफल (निरसन) अधिनियम, 2006 का अधिनियम 49

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन भारतीय राइफल अधिनियम, 1920 को निरसित करने के लिए किया गया था । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए ।

73. मुर्शिदाबाद संपदा प्रशासन अधिनियम, 1933 का अधिनियम 23

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : विधि मंत्रालय की केंद्रीय अधिनियमों की सूची से हटाएं

अधिनियम मुर्शिदाबाद के नवाब बहादुर की संपत्तियों के राज्य सचिव की ओर से प्रबंधक की नियुक्ति का उपबंध करता है और प्रबंधक की शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है । मुर्शिदाबाद संपदा (न्यास) अधिनियम, 1963 द्वारा इस अधिनियम को निरसित किया गया है । अतः, केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से इस विधि को हटाना चाहिए ।

74. अजमेर किराएदारी और भूमि अभिलेख अधिनियम, 1950 का अधिनियम 42

प्रवर्ग : किराया और किराएदारी

सिफारिश : विधि मंत्रालय की केंद्रीय अधिनियमों की सूची हटाएं ।

अधिनियम अजमेर के कृषिक किराएदारी, अधिकार-अभिलेख और कतिपय अन्य विषयों की बाबत विधि को घोषित और संशोधित करता है । इस अधिनियम को राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, 1957 द्वारा निरसित किया गया है । अतः, केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की अपनी सूची से इसे हटाना चाहिए ।

अध्याय 3

अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 का अधिनियम 22 पर टिप्पण

3.1 यह अधिनियम श्रम विधियों के प्रवर्ग के भीतर आता है । अधिनियम का अधिनियमन अभ्रक खान उद्योग में लगे श्रमिकों के कल्याण संवर्धन के क्रियाकलापों को वित्तपोषित करने के लिए निधि गठित करने हेतु किया गया था । अधिनियम अभ्रक पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण को अनुध्यात करता है । तथापि, आंकड़े यह बताते हैं कि उपकर के रूप में संग्रहीत रकम में से काफी रकम श्रम कल्याण के बजाए निधि के अनुरक्षण में खर्च होता है । अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के अलावा, चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान कर्मकार, बीड़ी कर्मकार, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क कर्मकार और सिनेमा कर्मकार जैसे कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों के लिए भी कल्याण निधियां विद्यमान हैं । केंद्रीय सरकार को अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि और अन्य ऐसी कल्याण निधियों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करना चाहिए । क्योंकि ऐसी कल्याण निधियां कतिपय सेक्टरों के लिए है न कि अन्य के लिए, अतः केंद्रीय सरकार को ऐसी कल्याण निधियों के कार्यकरण के बारे में संबद्ध विभाग को लिखना चाहिए । तत्पश्चात्, सरकार यह विचार करे कि क्या 1946 के अधिनियम 22 और अन्य कल्याण निधि अधिनियमों को जारी रखा जाए या नहीं ।

3.2 आयोग यह सिफारिश करता है कि केंद्रीय सरकार को अभ्रक खान कल्याण निधि और अन्य समरुप कल्याण निधि अधिनियमों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करना चाहिए ।

ह0/-
(न्यायमूर्ति ए. पी. शहा)
अध्यक्ष

ह0/-
(न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर)
सदस्य

ह0/-
(प्रो. (डा.) मूलचंद शर्मा)
सदस्य

ह0/-
(न्यायमूर्ति ऊना मेहरा)
सदस्य

ह0/-
(डा. एस. एस. चाहर)
सदस्य-सचिव

ह0/-
(पी. के. मल्होत्रा)
पदेन-सदस्य

ह0/-
(डा. संजय सिंह)
पदेन सदस्य